न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 8/12 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मुरारी लाल पुत्र प्रभू जाति ब्राहमण निवासी रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 नरेश कुमार पुत्र मदनलाल
2 दुर्गा बेवाह मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी रसगण तह0 मुण्डावर
3 दयानन्द
4 रोहिताश
5 विजय कुमार पुत्रान मोती
6 रूकमणी बेवाह रामचरण
7 शिम्भू दयाल
8 राधेश्याम
9 हनुमान
10 बाबूलाल पुत्रान फूलचन्द जातियान ब्राहमण निवासी रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
11 हुकमचन्द
12 जगदीश
13 जयप्रकाश
14 सुभाष पुत्रान हजारी
15 ओमप्रकाश
16 शान्ताराम पुत्रान बालादेवी बेवाह बिहारीलाल जाति ब्राहमण निवासी रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
17 शिवदत्त पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी रसगण तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
18 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर

14/11/14

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 21.10.2011

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– सुश्री सुषमा शर्मा

2. वकील रेस्पो0सं0 1,2 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 14.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2011 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2011 के खिलाफ है, जिसके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दौराने विचारण वाद प्रार्थी प्रतिवादी ने तहत न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि कस्टोडियन भूमि है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः दावा खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त वाद अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3 दौराने बहस उभयपक्षों के वकीलों ने निवेदन किया है कि पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है । राजीनामा हमने अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दिया है । उक्त राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान तहत न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं और अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं । अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर गौर किया । चूंकि सभी पक्षकारान आपसी सहमति से तहत न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं और अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा अपील को इसी स्तर पर खारिज कराने हेतु सहमत है । अतः न्याय हित में पक्षकारान के राजीनामा के अनुसार अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

14.10.19

(कमल राम मीना)

5 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया ।

Scanned by CamScanner